न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—249/2016/223 (2016/00249)

1. हीरा पुत्र छोगा, जाति भील, निवासी ग्राम झड़वासा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर ।
2. देवकरण, सरपंच ग्राम पंचायत, झड़वासा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 20.6.2016 अंतर्गत वाद संख्या 87/2016.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री मदनलाल, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः—31.10.2018

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 20.6.2016 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायाल में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम झड़वासा, तहसील नसीराबाद के चौसाला खसरा नंबर 672 वर्किंग खसरा नंबर 835 रकबा 24—10—00 बीघा में से रकबा 9—08—00 व खसरा नंबर 887 रकबा 13—15—10 वादी की खातेदारी की भूमियां है जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में उक्त आराजी त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दी गई । प्रतिवादीगण विवादित आराजी से जबरन सड़क निकालने पर आमादा है । अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.6.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।
3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि ग्राम झड़वासा तहसील नसीराबाद के चौसाला खसरा नंबर 672 रकबा 38—5—10 के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नंबर 835 रकबा 24—10—00 में से रकबा 9—8—00 एवं 887 रकबा 13—15—10 भूमि का वादी हीरा पुत्र छोगा भील के नाम नामांतकरण संख्या 428 से रकबा 9—8—0 का गैर खातेदार एवं नामांतकरण संख्या 116 से रकबा 13—15—190 भूमि का गैर खातेदार से खातेदारी का नामांतकरण दिनांक 8.11.1997 को भरा गया था तब से वादी हीरा वल्द छोगा, कौम भील विवादित भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । चौसाला खसरा नंबर 672 रकबा 38—5—00के वर्किंग जमाबंदी में बने नवीन खसरा नंबर 835 रकबा 24—10—00 में से 9—8—0 एवं 887 रकबा 13—15—10 भूमि का गैर खातेदारी से खातेदारी खसरा नंबर 887 की नियमानुसार हीरा के नाम अंकन कर दिया गया तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नंबर 1760/4542 रकबा 0.36 है0, 1771 रकबा 0.95 है0, 1772/4650 रकबा 0.62 है0, 1773 रकबा 0. 30 है0 की नियमानुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी अंकित कर दी गई किन्तु वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 835 रकबा 24—10—00 में से 9—8—0 का नामांतकरण संख्या 428 गैर खातेदारी का हीरा पुत्र छोगा के नाम अंकन करते समय गलती एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से चौसाला खसरा नंबर 672 के नये वर्किंग खसरा नंबर 835 के बजाय 887 मिन अंकन होने से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बने हाल खसरा नंबर 393 रकबा 3.76 है0 में से 9—8—0 को राजस्व अधिकारियों एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा गलत एवं त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक अंकित कर दिया गया । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्यायाा0 ने वादी पक्षकारान को सुनवाई, साक्ष्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया एवं नाकिसी की साक्ष्य ली गई। वादी/अपीलांट ने गलत इंद्राज के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य अधी0न्यायाा0 के समक्ष प्रस्तुत किये थे किन्तु अधी0न्यायाा0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि कारित की है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि अधी0 ने वाद में वाद एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम नहीं की तथा ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया है । अधी0न्यायाा0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिक प्रकिया का उल्लघंन कर पारित किया गया है जिसे निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । वादी दस्तावेजी साक्ष्यों से अपना वाद साबित करने में असफल रहने से अधी0न्यायाा0 ने वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

6. विद्वान रेस्पो0 संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने रेस्पो0 संख्या 1 की बहस का समर्थन करते हुए अधी0न्यायाा0 के निर्णय व डिक्री को सही ठहराते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्किंग जमाबंदी खसरा नंबर 835 राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा उक्त आराजी कभी भी वादी/अपीलांट के नाम गैर खातेदारी एवं खातेदारी से नहीं रही है एव ंना ही कभी आवंटित हुई है । वादी/अपीलांट का कथन है कि वर्किंग खसरा नंबर 837 को त्रुटिपूर्ण तरीके से 887 अंकित कर दिया गया किन्तु इस संबंध में वादी/अपीलांट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है एव ंना ही किसी साक्ष्य से ऐसा होना साबित किया है । वर्किंग खसरा नंबर 835 के

हाल खसरा नंबर 393 बने है जो राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है तथा उक्त खसरा नंबर में से ग्राम पंचायत द्वारा सड़क का निर्माण किय जा रहा है । वादी/अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने वाद के कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है इसी कारण विद्वान अधी0न्याया0 ने वादी/अपीलांट का वाद खारिज किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के कम में अपील अपीलांट खारिज योग्य पायी जाती है ।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 20.6.2016 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 31.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

क्रमांकः—रा0अ0प्रा0 / अजमेर दिनांकः—26.10.2018

तहसीदार,
ब्यावर ।

विषयः— अपील संख्या 2018 / बउनवान मैसर्स छाजेड़ बिल्डवेल प्रा0लि0 बनाम राज0 सरकार में मौका रिपोर्ट भिजवाने के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.11.2018 नियत की गई है।

आपको कमीश्नर नियुक्त कर निर्देश दिये जाते है कि विवादित आराजी खाता संख्या 126 के खसरा नंबर 1039 रकबा 32—17—00 बीघा ग्राम फतेहपुरिया दोयम, तह0 ब्यावर एवं खाता संख्या 144 के खसरा संख्या 1352 रकबा 00—06—00 बीघा एवं खसरा संख्या 1353 रकबा 12—04—00 बीघा वाके ग्राम नून्द्री मेन्द्रातान, तहसील ब्यावर जिसका विक्रय पत्र दिनांक 1.2.2008 को निष्पादित किया गया है, के अनुसार 84,833.18 वर्गमीटर कुल 1,01, 459.60 वर्ग गज का पक्षकारों की मौजूदगी में चतुर्थ दिशाओं की भूमि मौका देखकर वास्तविक भौतिक धारण एवं मौका रिपोर्ट तैयार कर नियत दिनाक 12.11.2018 तक आवश्यक रूप से भिजवाये । कमीश्नर फीस नियमानुसार अपीलांट से प्राप्त की जावे । पत्र के साथ विक्रय पत्र की प्रति संलग्न है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर